

कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित) नियम-2008 के नियम 19 एवं राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-17 के अनुसार प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक को राज्य सेवा में 10/20/30 वर्ष निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर आश्वासित केरियर प्रगति (I/II/III) सातवें वेतनमान के अंतर्गत पे-मैट्रिक्स लेवल संख्या नियमानुसार स्वीकृत की जाती है :-

नाम	जन्म तिथि	पद	पदस्थापन स्थान	Date of Joining on First Appointment and designation	स्वीकृत एसीपी का प्रकार	एसीपी स्वीकृति / दायता दिनांक	स्वीकृत पै बैण्ड	स्वीकृत ग्रेड पे
1	2	3	4	5	6	7	8	9
स्व० दीपक सारस्वत	20.03.1965	प्रधानाचार्य	राजमावि छापराडी आमेर, जयपुर	02.07.1998 Senior Teacher	तृतीय (30 वर्षीय)	02.07. 2020	L-17	6800

उपरोक्त अधिकारी का वेतन निर्धारण नियमानुसार संबंधित नियंत्रण अधिकारी द्वारा किया जाएगा एवं संबंधित की सेवापुस्तिका में आवश्यक रूप से इसका इन्द्राज किया जाएगा।

(गौरव अग्रवाल)

आइ.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

दिनांक : 02-09-2022

क्रमांक :- शिविरा/माध्य/संस्था-एबी/ए-2/दीपक/एसीपी/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

01. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा- जयपुर संभायमेव जयते
02. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड बाबत।
03. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा जयपुर।
04. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी आमेर जिला जयपुर।
05. संबंधित कार्मिक।
06. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर